संख्या– 320/xxiv (7) 82(2)/2008

प्रेषक,

अंजली प्रसाद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी,नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 05 फरवरी, 2009

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2008–2009 में राजकीय महाविद्यालय नई टिहरी के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या डिग्री विकास/915/2008–09 दिनांक 26–4–08 तथा शासनादेश संख्या 917/xxiv (7)/2006 दिनांक 19–1–06 एवं शासनादेश संख्या 270/xxiv (7)/2007 दिनांक 8–1–2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय महाविद्यालय नई टिहरी के भवन निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, नई टिहरी इकाई के अनुमोदित आगणन रु0 1,44,30,000/– के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु0 14,30,000.00 (रु0 चौदह लाख तीस हजार मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 में व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा। निर्माण कार्य के लिये अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग शीघ्रता से करने तथा कार्य शीघ्रता से इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने के लिये प्राचार्य द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा निर्माण इकाई द्वारा विलम्ब करने की दशा में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी तथा आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा ।

4– निदेशक उच्च शिक्षा कार्यदाई संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व कार्यदाई संस्था से एक सप्ताह में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के विरुद्ध एकेडिमिक रिक्वायरमेंट के अनुरुप समय सारणी अनुसार कार्य पूर्ण करने की लिखित सहमति प्राप्त कर लेंगें । यदि

लिखित समयावधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो, एक माह का ग्रेस पीरियड देते हुये कार्यदाई संस्था से 5 प्रतिशत आर्थिक जुर्माना वसूला जायेगा। तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर कार्यदाई संस्था को काली सूची में सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

5— उक्त निर्माण कार्य में आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर, जो भू वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार प्राविधानित किया गया है, के सम्बन्ध में प्राचार्य द्वारा सुसंगत अभिलेखों में तकनीकी पुष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय । उक्त रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाय।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008—09 के आय—व्ययक की अनुदान सं0 11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखा शीर्षक—4202—शिक्षा खेल कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय —01— सामान्य शिक्षा—203—विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा—आयोजनागत—11—आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना —24—बृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 622 (p)/xxxvii(3)/2008 दिनांक 6—1—2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(अजली प्रसाद)
सचिव

सं0 320 (1)/ xxiv (7) 82(2)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2— आयुक्त गढवाल मण्डल।
3— जिलाधिकारी टिहरी।
4—कोषाधिकारी हल्द्वानी—नैनीताल।
5—प्रयोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम इकाई नई टिहरी ।
6—प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय नई टिहरी।
7—निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
8—बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
9—वित्त अनु0—3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
10—विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(इन्दुधर बौडाई)
अपर सचिव